न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 273/14 दावा निर्णय दिनांक 13/2/19

बउनवान

1. हरदेव पुत्र देवबक्श जाति खारवाल निवासी मोरूखुर्द जर्ये कायम मुकामः–
   1. किशनमुरारी पुत्र हरदेव।
   2. मदरलाल पुत्र हरदेव।
   3. ओमप्रकाश पुत्र हरदेव।
   4. लाड़बाई पुत्री हरदेव।
   5. अयोध्याबाई पुत्री हरदेव।
   6. सूरजबाई पुत्री हरदेव।
   7. मनभरबाई पुत्री हरदेव।
   8. सन्जूबाई पुत्री हरदेव।
   9. रामचन्द्रीबाई पत्नी हरदेव जातियान खारवाल निवासीगण मोरूकला दरा स्टेशन तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादी

उपस्थित :–
वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।
प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास।

वाद अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त में ग्राम किशोरसागर में खसरा नबंर 118/399 की 05 बीघा आराजी किस्म बारानी तृतीय स्थित है, जिस पर वादी का करीबन 30–35 वर्षों से अधिक समय से निरन्तरण कब्जा चला आ रहा है। जिसमें वादी ने सम्वत 2056 में ज्वार बोई थी। पानी के अभाव में सम्वत 2059 में पडत रहने के बाद सवत् 2060 में पुनः ज्वार की फसल बोई थी, तथा आज भी वादी उस पर लगातार काबिज काश्त है। उक्त भूमि वादी को आवंटन हुई थी।

यहकि सम्व 2058 में हुऐ सेटलमेंट (बन्दोबस्त) में वादी के खाते एवं कब्जे की आराजी खसरा नबंर 118/399 की 05 बीघा आराजी जिसका नया रकबा 0.81 है0 स्थित है को मिसल बन्दोबस्त के खाता नबंर 172 में आवटन बेशी होने से सिवायचक दर्ज कर दिया, जबकि उक्त भूमि पर वादी आवंटन के पूर्व से आजतक लगातार काबिज चला आ रहा है। इसलिये वादी को बेशी आवंटन का प्रश्न ही पैदा नंही होता है। यदि बेशी आवंटन हुआ भी

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

तो जिस व्यक्ति का कब्जा मौके पर नंही है उसको बेशी आवंटन मानते हुये उसको आवंटित आराजी सिवायचक दर्ज करनी चाहिये परन्तु बिना मौके की व कब्जे की जांच किये मानमाने रूप सेवादी के आवंटन शुद्वा आराजी पर वर्षों से काबिज कातहोने के बावजूद उक्त खसरा नम्बरान में बेशी आवंटन बताकर भूमि सिवायचक दर्ज कर दिया जना वादी के साथ अन्याय व हितों पर कुठारा घात है। तथा सेटलमेंट अधिकारियों को ऐसा करने का कोई अधिकार नंही है। इसलिए वादी के लिये यह आवश्यक हो गया कि वादी अपने खातेदारी की भूमि गत खसरा नबंर 118/399 की रकबा 05 बीघा जिसके हाल खसरा नबंर 747/1926 की रकबा 0.81 है0, को पुनः अपने खाते दर्ज कराने तथा अपने को खातेदार घोषित करावें। इसलिये यह वाद घोषणा खातेदारी हेतु प्रस्तुत है।

वदी द्वारा पुनः अपने प्रस्तुत वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व घोषणा खातेदारी की डिक्री पारीत की जाकर वादी को ग्राम किशोरसागर की गत खसरा नबंर 118/399 की रकबा 05 बीघा आराजी को परिवर्तीत नये खसरा नबंर 747/1926 की रकबा 0.81 है0, आराजी का वादी को खातेदार टेनेन्ट घोषित किया जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी जारी की गई। पत्रावली में दिनांक 17.08.2017 को वादी वकील द्वारा वादी की मृत्यु होना बताया साथ वकील वादी ने एक प्रार्थना-पत्र आर्डर-22 (नियम-3) सी.आर.पी.सी बाबत बनाये जाने कायम मुकाम वादी हरदेव के पेश किया साथ में का0 मुकाम का वकालतनामा एवं मृत्यु प्रमाण-पत्र, वारिसान प्रमाण-पत्र पेश किया। प्रार्थना-पत्र बाद स्वीकर कर वादी हरदेव के स्थान पर कायम मुकामन (किशन (पुत्र), मदनलाल (पुत्र), ओमप्रकाश (पुत्र), लाडबाई (पुत्री), अयोध्याबाई (पुत्री), सूरजबाई (पुत्री), मनभरबाई (पुत्री), सन्जूबाई (पुत्री), व रामचन्द्रीबाई (पत्नी) रिकार्ड में लिया गया। वादी हरदेव की मृत्यु होने के उपरान्त जर्ये कायम मुकाम वादीगण द्वारा दिनांक 17.01.2019 को संशोधित टाईटल प्रस्तुत किया। पत्रावली में जवाब सरकार हेतु लिखा गया, तहसीलदार कनवास द्वारा राज्य सरकार की ओर से दिनांक 01.11.2017 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नबंर 118/399 की 05 बीघा आराजी माल ग्राम किशोर सागर वादी को आवंटन हुई थी, जो वादी के खाते दर्ज हो चुकी है। जिस पर वादी काबिज काश्त आज तक चला आ रहा है व फसल प्राप्त करता है। उक्त खरा नबंर 118/399 रकबा 05 बीघा का सेटलमेंट सम्वत् 2058 में नया रकबा 0.81 हैक्टर कायम कर बेशी आवंटन बताकर सिवायचक दर्ज कर दिया। राजस्व रेकार्ड बदर पत्र ग. खसरा नबंर 118/399 रकबा 05 बीघा खाता संख्या 98 का हाल बंदोबस्त द्वारा हाल खसरा नबंर 787/1927 रकबा 0.78 है, खाता संख्या 97 दर्ज किया गया है। सिवाय चक दर्ज कर दी है मौके पर उक्त आराजी पर वादी वर्तमान में भी काबिज होकर काश्त कर रहा है, इस प्रकार रेकार्ड मुताबि वादी के खाते की खसरा नबंर 118/399 की 05 बीघा भूमि के नये खसरा नबंर 747/1927 की रकबा 0.78 है0, कायम कर सिवायचक दर्ज कर दी गई है तथा खातेदार वादी की भूमि को पुनः इन्द्राज दुरूस्त कर वादी के नाम दर्ज करने में कोई आपत्ति नंही है। उक्त वाद में वादी की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकामी दर्ज हो चुके हैं। अतः वादी कायम मुकामी के नाम भूमि पुनः खाता दर्ज करने पर कोई आपत्ति नंही है। तदनुसार वाद पत्र निर्णित कर दिया जावे। जवाब सरकार शामिल पत्रावली किया गया।

उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में हमारे द्वारा अंकित तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेज (कायम मुकाम द्वारा वादी का मृत्यु प्रमाण-पत्र, कायम मुकाम का वारिस प्रमाण-पत्र, संशोधित टाईटल), एवं जवाब सरकार का गहतनता पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कर्श पर पहुंचते हैं कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में ग्राम किशोरसागर के खसरा नबंर 118/399 की 05 बीघा जिसके नया खसरा नबंर 747/1927 का रकबा 0.78 है0, कृषि भूमि का पुनः

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

इन्द्राज दुरूस्त कर वादी हरदेव के मुत्यु होने के उपरान्त उसके कायम मुकाम के नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम किशोरसागर के खसरा नबंर 118/399 की 05 बीघा जिसके नया खसरा नबंर 747/1927 का रकबा 0.78 है0, कृषि भूमि का पुनः इन्द्राज दुरूस्त कर वादी हरदेव (मृतक) के कायम मुकाम (किशन (पुत्र), मदनलाल (पुत्र), ओमप्रकाश (पुत्र), लाडबाई (पुत्री), अयोध्याबाई (पुत्री), सूरजबाई (पुत्री), मनभरबाई (पुत्री), सन्जूबाई (पुत्री), व रामचन्द्रीबाई (पत्नी) के नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13/2/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(civil procedure vode, appendix"d"l')

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
बईलास श्री कमल कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 273/14 दावा निर्णय दिनांक 13/2/19

बउनवान

1. हरदेव पुत्र देवबक्श जाति खारवाल निवासी मोरूखुर्द जर्ये कायम मुकामः–
   1. किशनपुरारी पुत्र हरदेव।
   2. मदरलाल पुत्र हरदेव।
   3. ओमप्रकाश पुत्र हरदेव।
   4. लाडबाई पुत्री हरदेव।
   5. अयोध्याबाई पुत्री हरदेव।
   6. सूरजबाई पुत्री हरदेव।
   7. मनभरबाई पुत्री हरदेव।
   8. सन्जूबाई पुत्री हरदेव।
   9. रामचन्द्रीबाई पत्नी हरदेव जातियान खारवाल निवासीगण मोरूकला दरा स्टेशन तहसील कनवास जिला कोटा।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय कनवास।

प्रतिवादी

दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 88,89

मुकदमा नबंर 273/14 सन् 2014 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी पेरोकार सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वंय उपस्थित मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है **कि ग्राम किशोरसागर के खसरा नबंर 118/399 की 05 बीघा जिसके नया खसरा नबंर 747/1927 का रकबा 0.78 है0, कृषि भूमि का पुनः इन्द्राज दुरूस्त कर वादी हरदेव (मृतक) के कायम मुकाम (किशन पुरारी (पुत्र), मदनलाल (पुत्र), ओमप्रकाश (पुत्र), लाडबाई (पुत्री), अयोध्याबाई (पुत्री), सूरजबाई (पुत्री), मनभरबाई (पुत्री), सन्जूबाई (पुत्री), व रामचन्द्रीबाई (पत्नी) के नाम दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है।** तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ....x....मुबलिग ....x....बाबत ....x.... खर्चा इस मुकदमे का मय सूद व शरह ....x....फसीदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....x..... को अदा करें।
बसबंत मेरे दस्खत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 2-2019 सन् को जारी की गई।

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा .... स्टाम्प वकालतनामा .... स्टाम्प वजह सबूत .... महनताना वकील .... खर्चा गवाहान .... फीश कमीशनर .... .बाबत इजराय हुकमनामा .... मुरफर्रिक .... मीजान	Nil		स्टाम्प वकालतनामा .... स्टाम्प अर्जी .... महनताना वकील .... खर्चा गवाहन .... फीस कमीशनर .... बाबत इजराय हुकमनामा .... मुतफर्रिक .... मीजान		

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रैट कनवास

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)